पत्रावली ... को पेश है

22/11/18 पत्रावली श्री गिरधारी पुत्र मुकुन्द के विरुद्ध तलबी का आवेदन जरिये वकील श्री मारूराम के पेश होने पर पत्रावली मंगाई गई। प्रार्थी वादी ने आवेदन मंजूर की निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य कार्यवाही राजीनामा हो चुका है लेकिन मामा चलाना नहीं चाहता है। लेकिन विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी वादी की पश्चात वकील वादी श्री मारूराम द्वारा की गयी अर्ज. प्रार्थी के निवेदन पर वाद वादी विड्रा किये जाने का आदेश दिया जाता है। विपक्ष फरीकान मुकदमा होकर नोटिस से कम है।

जाता

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

गीरधारी ल
पीठासीन